प्रेषक,

हरी राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 26 मार्च, 2018

विषय- उ0प्र0 राज्य सीमेण्ट निगम के छटनीशुदा कार्मिकों के समायोजन तथा 40 प्रतिशत बैकबेजेज दिये जाने हेतु मण्डलीय/जिला कार्यालय के अधिष्ठान व्यय मद के कतिपय मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5824/अ0सं0क0नि0-52/लेखा/बजट-प्रावि0/2017-2018, दिनांक 13.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य सीमेण्ट निगम के छटनीशुदा कार्मिकों के समायोजन तथा 40 प्रतिशत बैकबेजेज दिये जाने के सम्बन्ध में लेखाशीर्षक-2070-001-04-मण्डलीय/जिला कार्यालय के वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जैसे वचनबद्ध मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलीय/जिला कार्यालय (राजस्व पक्ष) के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2070-001-04 के अन्तर्गत मानक मद-01-वेतन मद में रू0 75.00 लाख, मानक मद-03-महंगाई भत्ता मद में रू0 25.00 लाख तथा मानक मद-06-अन्य भत्ते मद में रू0 10.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 110.00 लाख (रूपये एक करोड़ दस लाख मात्र) हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-48 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-2202-01-800-11 के अन्तर्गत मानक मद-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष उपलब्ध बचतों से संलग्न प्रपत्र-बी0एम0-09 के अनुरूप पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 **110.00** लाख अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा तथा धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

2- उक्त मदों पर होने वाला व्यय इस सम्बन्ध में समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये गये मितव्यता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट मात्र) किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

3- उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-मण्डलीय/जिला कार्यालय के अन्तर्गत मानक मद-01-वेतन मद, मानक मद-03-महंगाई भत्ता तथा मानक मद-06-अन्य भत्ते के नामें डाला जायेगा। यह धनराशि लेखा शीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-800-अन्य व्यय-11-146 नये आलिया स्तर स्थायी मान्यता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य(वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग कर की जायेगी।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-378/दस-2018, दिनांक 19.03.2018 में प्राप्त सहमति से जारी किया जा रहा है।

<u>संलग्नक-बी0एम0.9 प्रपत्र(मूलरूप में)</u>

भवदीय,

(हरी राम)
उप सचिव।

<u>संख्या-814(1)/बावन-1-2018, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/वित्त एवं लेखाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- वित्त(ई-11) अनुभाग/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 (02 प्रतियों में)/नियोजन अनुभाग-3
5- सम्बन्धित सहायक।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरी राम)
उप सचिव।

http://slasanadesh.up.nic.in